

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
बी-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002


फ.स. DSCST/Sch./2020-21 1848

दिनांक: 16/03/2021

सेवा में,

कुल सचिव
दिल्ली विश्वविद्यालय,
मौरिस नगर, दिल्ली 07

RO



विषय: दिल्ली निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्तियों की प्रचार प्रसार जानकारी हेतु।

महोदय

दिल्ली सरकार के निर्देश पर मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कुल 09 प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं दिल्ली राज्य में लागू हैं, जिसमें 5 छात्रवृत्तियां, दिल्ली सरकार की वित्तीय सहायता से तथा शेष 4 दिल्ली राज्य व केन्द्र सरकार (समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) द्वारा संयुक्त वित्तीय सहायता से संचालित की जाती हैं। इन छात्रवृत्तियों को दिल्ली राज्य में संचालित करने हेतु यह विभाग व्यवस्थापक/नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।


दिल्ली सरकार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की उन्नति, तरक्की व उनके जीवन स्तर को उंचाई पर ले जाने हेतु इन योजनाओं को उक्त समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक ले जाने के लिए तत्पर है तथा लाभार्थियों की संख्या में बढोत्तरी हेतु विशेष अभियान चला रही है। जिसके लिए इन योजनाओं के प्रचार प्रसार की आवश्यकता को देखते हुए निवेदन है कि आप अपने विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले दिल्ली के समस्त कॉलेजों में इन योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करा कर योग्य प्रार्थियों को उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की कृपा करें।

वर्तमान में यह छात्रवृत्ति योजनाएं विद्यार्थियों हेतु वर्ष 2020-21 के लिए दिनांक 31-03-2021 तक खुली हुई है, जिसकी जानकारी विभाग की वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है। इस संबंध कोई भी पूछताछ (हेल्पलाइन) 011-23379512 से प्राप्त की जा सकती है।

योजनाओं की संपूर्ण जानकारी का साहित्य संलग्न है

अतः इन योजनाओं की सफलता हेतु आपका सहयोग/मार्गदर्शन अपेक्षित है।

निवेदक



मधुसूदन कुमार
उप-निदेशक (छात्रवृत्ति)


23/3/21


25/3/21